संख्या-23/2016/951/78-1-2016-54आई.टी./2015

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 **लखनऊः दिनांकः 12 अगस्त 2016**

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्रदेश सरकार के केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र के प्रबंधन, रख-रखाव, संचालन तथा शासन के विभिन्न विभागों को उपलब्ध करायी जानी परामर्शी सेवाएं मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1,12,43,000/- की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया श्री राज्यपाल महोदय सूचना प्रौद्योगिक नीति 2012 हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 1,12,43,000/- (रू. एक करोड बारह लाख तैतालीस हजार मात्र) को वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26.06.1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड] लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण कर उसे पीएलए/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग सूचना प्रौद्योगिक नीति 2012 हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष कर लिया जायेगा।

(9) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(10) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्षक 2852-उद्योग-07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

202-इलेक्ट्रानिक्स-06-यू0पी0 डेस्को द्वारा प्रदेश सरकार के केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र के प्रबंधन, रख रखाव, संचालन तथा शासन के विभिन्न विभागों को उपलब्ध करायी जानी वाली सेवायें-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में उपलब्ध धनराशि से पुनर्विनियोग द्वारा वहन किया जायेगा तथा लेखा शीर्षक 2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-15-सूचना प्रौद्योंगिकी नीति 2012 हेतु नीति कार्यान्वयन का गठन-16 व्यावसायिक तथा विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति पुनर्विनियोग से संबंधित प्रपत्र संलग्न है।

(11) यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अ0शा0प0सं0-ई-6-455/दस-2016, दिनांक 09 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-उपरोक्त

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-23/2016/951(1)/78-1-2016 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबद।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
8- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को, लखनऊ।
10- राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2/आई.टी एवं इले. अनु-2
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Qke&ch-,e-&9 ¼Hkkx&1½

iufofu;kx dh Lohdfr d fy, vkonu

¼lnHkZ% ctV euvy dk iLrj&158 n[k½

¼bl ii= dk Hkju l io ihN Ni vun'kk dk Hkyh Hkkfr n[k fy;k tk;½

vunku l[;k o uke% vunku l[;k&7] m|kx foHkkx ¼Hkkjh ,o e/;e m|kx½ foRrh; o"kZ 2016&17 /kujkf'k¼gtkj:i;k e½

fuEufyf[kr fuf/k;k l iLrkfor lde.k			foRr foHkkx }kjk Hkjk tk;xk		
y[kk'kh"k ¼15 fMftV dkM e½ vk;ktukxr	vkonu i= nu d fnukd ij miyC/k vunku@fofu;kx	vkonu i= nu d fnukd ij miyC/k cpr	Lkdfer dh tku okyh /kujkf'k	foRr foHkkx }kjk lde.k gr vuekfnr /kujkf'k	lde.k d i'pkr 'k"k vunku@fofu;kx ¼2&5½
1	2	3	4	5	6
2852&07&202&06&00&16 2852&m|kx&07&njlpkj rFkk byDVkfud m|kx&202&byDVkfuDl&06&;0ih0 MLdk }kjk in'k ljdkj d dUnh; dEl;Vj dUn d ic/ku] j[k j[kko] lpkyu rFkk 'kklu d fofHkUu foHkkxk dk miyC/k djk;h tku okyh ijke'kh lok,&16&0;kolkf;d rFkk	11243	11243	11243	11243	0
;kx%	11243	11243	11243	11243	0

fuEufyf[kr fuf/k;k l iLrkfor lde.k			foRr foHkkx }kjk Hkjk tk;xk		
y[kk'kh"k ¼15 fMftV dkM e½ vk;ktukxr	foRrh; o"k d fy, miyC/k vunku@fofu;kx	foRrh; o"k e iR;kf'kr dy 0;;	lde.k gr iLrkfor /kujkf'k ¼9&8½	foRr foHkkx }kjk vuekfnr lde.k dh /kujkf'k	lde.k d i'pkr miyC/k vunku@fofu;kx ¼8$11½
7	8	9	10	11	12
2852&07&202&15&00&16 2852&m|kx&07&njlpkj rFkk byDVkfud m|kx&202&byDVkfuDl&06&;0ih0 MLdk }kjk in'k ljdkj d dUnh; dEl;Vj dUn d ic/ku] j[k j[kko] lpkyu rFkk 'kklu d fofHkUu foHkkxk dk miyC/k djk;h tku okyh ijke'kh lok,&16&0;kolkf;d rFkk fo'k"k lokvk d fy, Hkxrku	0	11243	11243	11243	11243
;kx%	0	11243	11243	11243	11243

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

¼1½ LrEHk&3 e cpr dk dkj.k fuEukuIkj g%& pky foRrh; o"k e ikfo/kku d lki{k vc rd ekx u gkukA
¼2½ LrEHk&8 e mfYyf[kr miyC/k vunku d lki{k LrEHk&9 e vfdr 0;; fuEufyf[kr dkj.kk l g%& lnHkxr /kujkf'k dh vko';drk ijke'kh lokvk d Hkxrku grA
iekf.kr fd;k tkrk g fd mi;Dr iufofu;kx e mRrj in'k ctV euvy d iLrj&150]151]154 o 155 e fufn"V ifrcU/kk@ifjlhekvk dk mYy?ku ugh gkrk gA

lk[;kkvkj-b 68@b&6&16@nl&2016

fnukd 09&08&2016

lok e]

egky[kkdkj ¼y[kk ,o gdnkjh½ iFke] mRrj in'k] bykgkcknA

gLrk{kj ----------
uke o inuke----------
i'kkldh; foHkkx ----------

gLrk{kj ------ g0
uke o inuke& ¼vfouk'k pUn f}onh½
l;Dr lfpo] foRr foHkkx]
m0i0 'kkluA

lk[;kk&951@78&1&2016&54vkb-Vh-@2015
ifrfyfi fuEufyf[kr dk lpukFk ,o vko';d dk;okgh gr if"krk%&
1- lEcfU/kr foHkkxk/;{k ¼fu;=d vf/kdkjh½
2- e[;@ofj"B dk"kkf/kdkjh] y[kuÅA
3- fun'kd foRrh; lkf[;dh fun'kky;] tokgj Hkou] y[kuÅA
4- foRr ¼vk;&0;;d½ vuHkkx&1 ¼rhu ifr;k e½

gLrk{kj ----------g0-
uke o inuke& th0,l0 uohu dekj] fo'k"k lfpo]
i'kkldh; foHkkx& vkb0Vh0 ,o byDVkfuDl foHkkx] m0i0 'kkluA

vun'k

1-iR;d vunku@fofu;kx d vUrxr ern; vkj Hkkfjr 0;; l lcf/kr iufofu;kxk d fy, vyx&vyx vkonu iLrr fd; tku pkfg,A Hkkfjr 0;; l lEcfU/kr iLrkok e y[kk'kk"k d lkFk dk"Bd e ^^Hkkfjr** vfdr dj fn;k tk;A
2-ftu y[kk'kk"kk e iHkko iMxk mudk o.ku C;kjokj vuekuk vkj vunkuk e fn; x; o.ku d vu:i gkuk pkfg,A
3-dkye&2 rFkk 8 e ey ctV iko/kku] vuijd iko/kku vkj iufofu;kxk dh /kujkf'k] tk iLrkfor iufofu;kx d fnukd rd lcf/kr y[kk'kk"k d vrxr ;Fkkfof/k Lohdr g, gk] dk lfEefyr fd;k tk;A
4-ii= d dkye&5] 6 o 11] 12 e foRr foHkkx }kjk Lohdr iufofu;kx vfdr fd;k tk;xkA

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।